कार्यकारी सारांश

मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर यह प्रतिवेदन, राज्य सरकार के वित्त की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकोषीय स्थिति

राज्य ने वर्ष के दौरान ₹ 14,724 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 917 करोड़ बढ़ गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य को 2008–09 से अबतक पहली बार राजस्व घाटा के रूप में ₹ 1,784 करोड़ का सामना करना पड़ा। पूँजीगत शीर्ष के तहत राजस्व लेनदेन के गलत वर्गीकरण और अन्य देनदारियों के गैर–लेखांकन के उदाहरण थे, जो घाटे को और अधिक बढ़ा देते, जैसा कि प्रतिवेदन में बताया गया है।

यद्यपि जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा पिछले दो वर्षों से संशोधित बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के लक्ष्यों के भीतर था, तथापि, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष बकाया ऋण बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम के लक्ष्य के भीतर नहीं था।

(अध्याय I)

राज्य का वित्त

राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 7,561 करोड़ (5.74 प्रतिशत) की कमी देखी गई जो मुख्य रूप से भारत सरकार से कर अंतरण और करेत्तर राजस्व में कमी के कारण थी।

राजस्व व्यय में ₹ 1,120 करोड़ (0.90 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि के कारण हुई। साथ ही, राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में संपत्ति निर्माण पर व्यय 41.57 प्रतिशत कम किया।

वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया लोक ऋण पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ₹ 22,035 करोड़ (17.47 प्रतिशत) बढ़ गया है।

राज्य की देनदारियाँ साल–दर–साल बढ़ रही हैं और वर्ष 2019–20 के दौरान उधार राशि का 74 प्रतिशत से अधिक का उपयोग ऋण पुनर्भुगतान में किया गया, जिससे राज्य में संपत्ति निर्माण प्रभावित हुआ।

(अध्याय II)

बजटीय प्रबंधन

वर्ष के दौरान ₹ 78,845.26 करोड़ की कुल बचत में से केवल 21.20 प्रतिशत (₹ 16,713.67 करोड़) अभ्यर्पित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62,131.59 करोड़ (कुल बचत का 78.80 प्रतिशत) की बचत का अभ्यर्पण नहीं हुआ।

2019–20 के दौरान, 51 मामलों में, ₹ 21,084.50 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए और अप्रयुक्त रहे क्योंकि व्यय (₹ 1,14,219.75 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,62,210.48 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँच सका था।

(अध्याय III)

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर, बिहार जिला खनिज प्रतिष्ठान एवं पंजीयन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु जिला सोसायटी में किये गये अंशदान को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखा गया। इसी तरह रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा संग्रहित निधियों को भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखा गया। इससे संविधान के अनुच्छेद 266 का उल्लंघन हुआ है क्योंकि राशि को राज्य की समेकित निधि या लोक खाते से बाहर रखा गया।

158 पी0डी0 खातों में मार्च 2020 तक ₹ 3,312.94 करोड़ के समापन शेष थे। इस वर्ष के दौरान ₹ 552.13 करोड़ की राशि का इन खातों में अंतरण दर्शाया गया है। बजटीय प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत जमा खातों के उपयोग को कम करना अनिवार्य है।

इसके अलावा, व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) और वित्त लेखों के अनुसार पी0डी0 खातों की संख्या और इनमें पड़ी राशि में अंतर था, जो मुख्य रूप से सरकार द्वारा पुरानी संरचना से नई संरचना में शेष राशि को स्थानांतरित करने के कारण था। इसके लिए समाधान की आवश्यकता है, क्योंकि सी0एफ0एम0एस0 और वित्त लेखों की शेष राशि के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाया गया।

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार, उपयोगिता प्रमाण पत्र ₹ 79,690.92 करोड़ की राशि के बकाया थे जो निधियों के दुरूपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

यह देखा गया है कि मार्च 2020 तक कुल ₹ 9,155.44 करोड़ की राशि के 20,642 ए0सी0 विपत्रों का समायोजन नहीं किया गया था। इनमें से ₹ 644.13 करोड़ की राशि के 1383 ए0सी0 विपत्र (कुल आहरित ए0सी0 विपत्रों का 15.22 प्रतिशत) केवल मार्च 2020 में आहरित किए गए थे। सार आकस्मिक बिलों के आहरण के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत न करने से अपव्यय और दुरूपयोग की संभावना बढ़ गई है।

102–उचंत लेखा–सिविल के अंतर्गत राशि पिछले वर्ष 2018–19 के (निवल जमा ₹ 3,956.07 करोड़) की तुलना में 2019–20 में (निवल जमा ₹ 9,857.46 करोड़) उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

लघु शीर्ष 800 – अन्य व्यय के अविवेकपूर्ण संचालन ने वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता को प्रभावित किया और आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के समुचित विश्लेषण को अस्पष्ट कर दिया। वर्ष 2019–20 के दौरान, ₹ 1,38,320.56 करोड़ के कुल व्यय में से लघु शीर्ष '800' के माध्यम से ₹ 640.26 करोड़ का व्यय किया गया। कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 1,24,232.53 करोड़ में से ₹ 948.22 करोड़ (0.76 प्रतिशत) की प्राप्ति लघु शीर्ष '800' के माध्यम से दर्ज की गई थी।

(अध्याय IV)